



08 मई 2023

मनी-लॉन्ड्रिंग अधिनियम की रोकथाम (पीएमएलए)

सन्दर्भ:

- सरकार पिछले कुछ समय से मनी लॉन्ड्रिंग कानून, धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) में बदलाव कर रही है।

पीएमएलए के तहत किए जा रहे बदलाव:

- वित्त मंत्रालय ने मार्च में मनी लॉन्ड्रिंग नियमों में संशोधन किया।
- इसका उद्देश्य वित्तीय संस्थानों, बैंकिंग कंपनियों या बिचौलियों जैसी रिपोर्टिंग संस्थाओं द्वारा गैर-सरकारी संगठनों के लिए अधिक प्रकटीकरण शामिल करना था।
- यह पीएमएलए के तहत "राजनीतिक रूप से उजागर व्यक्तियों" (politically exposed persons- PEP) को भी परिभाषित करता है।
- PEPs- ऐसे व्यक्ति जिन्हें "एक विदेशी देश द्वारा प्रमुख सार्वजनिक कार्य सौंपे गए हैं, जिनमें राज्यों या सरकारों के प्रमुख, वरिष्ठ राजनेता, वरिष्ठ सरकारी या न्यायिक या सैन्य अधिकारी, राज्य के स्वामित्व वाले निगमों के वरिष्ठ अधिकारी और महत्वपूर्ण राजनीतिक दल के अधिकारी शामिल हैं।
- संशोधन विदेशी पीईपी के संबंध में था न कि घरेलू।
- 3 मई को, वित्त मंत्रालय ने अपने ग्राहकों की ओर से वित्तीय लेनदेन करने वाले चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, कंपनी सचिवों, और लागत और कार्य लेखाकारों को धन शोधन कानून के दायरे में लाया।
- निर्दिष्ट वित्तीय लेनदेन - किसी भी अचल संपत्ति की खरीद और बिक्री; ग्राहक के पैसे, प्रतिभूतियों या अन्य संपत्तियों का प्रबंधन; बैंक, बचत या प्रतिभूति खातों आदि का प्रबंधन,

पीएमएलए 2002 के बारे में:

- यह 2002 में अधिनियमित और 2005 में लागू हुआ।
- यह मनी लॉन्ड्रिंग के खतरे से निपटने के लिए भारत की वैश्विक प्रतिबद्धता (वियना कन्वेंशन सहित) की प्रतिक्रिया थी।
- यह मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए भारत के कानूनी ढांचे के केंद्र में है।
- इस अधिनियम के प्रावधान बैंकों (आरबीआई सहित), म्यूचुअल फंड, बीमा कंपनियों और उनके वित्तीय मध्यस्थों सहित सभी वित्तीय संस्थानों पर लागू होते हैं।
- अधिनियम में 2005, 2009 और 2012 में संशोधन किया गया था।

पीएमएलए का संचालन करने वाली एजेंसियां

- वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग में प्रवर्तन निदेशालय पीएमएलए के तहत मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध के मामलों की जांच के लिए जिम्मेदार है।
- राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय के तहत वित्तीय खुफिया इकाई (एफआईयू-आईएनडी) प्रवर्तन एजेंसियों और विदेशी एफआईयू को संदिग्ध वित्तीय लेनदेन से संबंधित जानकारी प्राप्त करने, प्रसंस्करण, विश्लेषण और प्रसार के लिए जिम्मेदार केंद्रीय राष्ट्रीय एजेंसी है।

Face to Face Centres



08 मई 2023

- 4 मई को वित्त मंत्रालय ने गैर-बैंकिंग रिपोर्टिंग संस्थाओं की सूची का विस्तार किया।
- यह 22 वित्तीय संस्थाओं को मनी लॉन्ड्रिंग कानून के दायरे में आधार के माध्यम से अपने ग्राहकों की पहचान सत्यापित करने की अनुमति देता है।

मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में:

- मनी लॉन्ड्रिंग एक आपराधिक गतिविधि जैसे- नशीली दवाओं की तस्करी या आतंकवादी फंडिंग द्वारा उत्पन्न बड़ी मात्रा में धन बनाने की अवैध प्रक्रिया है, परन्तु धन को इस प्रकार प्रस्तुत किया जाता है की जैसे यह वैध स्रोत से आया है।
- आपराधिक गतिविधि से प्राप्त धन को गंदा माना जाता है और इसे साफ दिखने के लिए की गयी प्रक्रिया "लॉन्ड्रिंग" कहलाती है।

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI)

सन्दर्भ:

- हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) की विज्ञापन निगरानी समिति ने खाद्य व्यवसाय संचालकों (FBO) के भ्रामक दावों और विज्ञापनों के 32 नए मामलों को चिह्नित किया।

मुख्य विशेषताएं:

- वे खाद्य सुरक्षा और मानक (विज्ञापन और दावे) विनियम, 2018 के उल्लंघन में पाए गए।
- FSSAI का उद्देश्य है कि विज्ञापन और दावे "सच्चे, स्पष्ट, अर्थपूर्ण, भ्रामक न हों और उपभोक्ताओं को प्रदान की गई जानकारी को समझने में मदद करें"।

एफएसएसआई के बारे में:


- यह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन स्थापित सांविधिक निकाय है।
- खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2008 में स्थापित) के तहत स्थापित।
- मुख्यालय- नई दिल्ली।

कार्य :

- खाद्य सुरक्षा मानकों और मार्गदर्शन को स्थापित करने के लिए FSSAI द्वारा विनियमों का मसौदा तैयार करना।
- खाद्य उद्यमों को FSSAI खाद्य सुरक्षा प्रदान करना।
- लाइसेंस और प्रमाणपत्र।
- खाद्य व्यवसायों में प्रयोगशालाओं के लिए प्रक्रियाओं और दिशानिर्देशों को निर्धारित करना।
- FSSAI की प्रमुख पहलें:
 - सही खाओ भारत,
 - स्वच्छ स्ट्रीट फूड,
 - डाइट4लाइफ

एपिडेमिक, एंडेमिक, पन्डेमिक (Epidemic, Endemic, Pandemic)

Face to Face Centres





08 मई 2023

सन्दर्भ:

- हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोनावायरस महामारी पर अपने आकलन को यह कहते हुए कम कर दिया कि यह अब वैश्विक आपातकाल के रूप में नहीं है।
- यह कार्रवाई उस घोषणा के उलट है जो पहली बार 30 जनवरी, 2020 को की गई थी, तब इस बीमारी को COVID-19 का नाम भी नहीं दिया गया था और चीन के अतिरिक्त कोई बड़ा प्रकोप नहीं हुआ था।

मुख्य विशेषताएं:

- वैश्विक आपातकाल के रूप में स्वास्थ्य खतरे का वर्गीकरण सभी देशों को यह चेतावनी देने के लिए है कि यह एक ऐसी "असाधारण" घटना है जो अन्य देशों के लिए स्वास्थ्य के लिए खतरा बन सकती है जिसे रोकने के लिए एक समन्वित प्रतिक्रिया की आवश्यकता है।
- WHO की आपातकालीन घोषणाओं का उपयोग आम तौर पर उन देशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय SOS के रूप में किया जाता है जिन्हें सहायता की आवश्यकता होती है।
- वे देशों को बीमारी से निपटने के लिए विशेष उपाय करने या अतिरिक्त धन जारी करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं।

प्रसार के आधार पर वर्गीकरण महामारी:

- इसे किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में रोग के मामलों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि के रूप में वर्णित किया जा सकता है।
- पीत ज्वर, चेचक, खसरा और पोलियो महामारी के प्रमुख उदाहरण हैं।
- महामारी रोग का संक्रामक होना जरूरी नहीं है।
- वेस्ट नाइल बुखार और मोटापे की दर में तेजी से वृद्धि को भी महामारी माना जाता है।

- महामारी एक बीमारी या अन्य विशिष्ट स्वास्थ्य-संबंधी व्यवहार (जैसे, धूम्रपान) को संदर्भित कर सकती है, जिसकी दर स्पष्ट रूप से किसी समुदाय या क्षेत्र में अपेक्षित घटना से अधिक है।

सर्वव्यापी महामारी :

- विश्व स्वास्थ्य संगठन तब महामारी घोषित करता है जब किसी बीमारी का विकास घातीय होता है।
- इसका मतलब है कि विकास दर आसमान छूती है और प्रत्येक दिन मामले पिछले दिन की तुलना में अधिक बढ़ते हैं।
- महामारी घोषित किए जाने में, वायरस का विषाणु विज्ञान, जनसंख्या प्रतिरक्षा या रोग की गंभीरता से कोई लेना-देना नहीं है।
- इसका मतलब है कि एक वायरस एक व्यापक क्षेत्र को कवर करता है, कई देशों और आबादी को प्रभावित करता है।

स्थानिक:

- रोग का प्रकोप स्थानिक तब होता है जब यह लगातार मौजूद होकर एक विशेष क्षेत्र तक सीमित होता है।
 - इससे रोग फैलता है और दरों का अनुमान लगाया जा सकता है।
- उदाहरण के लिए मलेरिया कुछ देशों और क्षेत्रों में स्थानिक माना जाता है।

Face to Face Centres





08 मई 2023

अनुच्छेद 355

सन्दर्भ:

- हाल ही में मणिपुर में अशांति के संदर्भ में अनुच्छेद 355 चर्चा में था।

अनुच्छेद 355 के बारे में:

- अनुच्छेद 355 संविधान के भाग XVIII के अंतर्गत एक प्रावधान है, जिसमें अनुच्छेद 352 से 360 तक के आपातकालीन प्रावधान शामिल हैं।
- संघ का कर्तव्य: अनुच्छेद 355 में कहा गया है कि भारत के हर राज्य को बाहरी और आंतरिक आक्रमण से बचाने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है।
- बाहरी आक्रमण: किसी भी प्रकार के बाहरी आक्रमण से राज्य की रक्षा के लिए केंद्र सरकार को आवश्यक उपाय करने का अधिकार है। इसमें संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और राज्य की सुरक्षा की रक्षा के लिए की गई कार्रवाइयां शामिल हैं।
- आंतरिक गड़बड़ी: अनुच्छेद 355 में केंद्र सरकार को राज्य के भीतर आंतरिक गड़बड़ी को संभालने की भी आवश्यकता है। यह संघ को हस्तक्षेप करने और राज्य के भीतर कानून व्यवस्था, शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए उचित कदम उठाने का अधिकार देता है।

- संविधान का अनुपालन: अनुच्छेद 355 का एक अन्य पहलू यह है कि केंद्र सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है कि प्रत्येक राज्य की सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार कार्य करती है। यह सुनिश्चित करता है कि राज्य सरकारें संवैधानिक सिद्धांतों का पालन करें और कानून के शासन का पालन करें।
- राज्य सरकारों के साथ संबंध: अनुच्छेद 355 केंद्र सरकार को राज्य सुरक्षा और शासन के मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार देता है, यह राज्य सरकारों के साथ एक सहयोगी संबंध भी स्थापित करता है। बाहरी खतरों और आंतरिक गड़बड़ी को दूर करने के लिए संघ से राज्य के अधिकारियों के साथ समन्वय में काम करने की अपेक्षा की जाती है।
- व्याख्या और कार्यान्वयन: अनुच्छेद 355 की व्याख्या और कार्यान्वयन केंद्र सरकार के अधीन है। यह स्थिति की गंभीरता का आकलन करने और राज्यों की रक्षा के अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए उचित कार्रवाई करने के लिए संघ के विवेकाधिकार में है।

अल्जाइमर

सन्दर्भ:

- हाल ही में फार्मास्युटिकल कंपनी, एली लिली ने डोननेमाब को अल्जाइमर के इलाज के लिए तीसरे चरण के परीक्षणों से "सकारात्मक परिणाम" जारी किया।
- डोननेमाब ने "शुरुआती लक्षणों वाले अल्जाइमर रोगी में संज्ञानात्मक और कार्यात्मक गिरावट को काफी कम कर दिया था।

Face to Face Centres

08 मई 2023


अल्जाइमर रोग:

- अल्जाइमर एक अपक्षयी मस्तिष्क विकार है जो धीरे-धीरे लोगों की याददाश्त और सोचने की क्षमता को कम कर देता है।
- दुनिया भर में यह मनोभ्रंश का सबसे आम रूप है, यह संज्ञानात्मक कार्यप्रणाली (सोचना, याद रखना, % तर्क करना) का नुकसान के 60% - 70% मामलों में योगदान देता है।
- यह प्रगतिशील और अपरिवर्तनीय है।
- यह आमतौर पर हल्के स्मृति हानि के साथ शुरू होता है और जैसे-जैसे लक्षण गंभीर होते जाते हैं, मरीज सामान्य कार्य करने की क्षमता भी खो देते हैं।
- इस रोग की विकृति मस्तिष्क में बीटा-एमिलॉयड नामक एक असामान्य प्रोटीन का जमाव है।

भारतीय परिदृश्य:

- अल्जाइमर रोग दुनिया भर में कम से कम 55 मिलियन लोगों को प्रभावित करता है।

- भारत में डिमेंशिया से पीड़ित 10 में से केवल 1 व्यक्ति को रोग का कोई निदान, उपचार या देखभाल प्राप्त होती है।
- जागरूकता की कमी, बीमारी से लड़ने में एक बड़ी समस्या है। अधिकांश भारतीय आबादी इसे सामान्य उम्र बढ़ने के रूप में स्वीकार करती है, जो कि गलत है।
- आने वाले दशकों में मधुमेह, उच्च रक्तचाप और मोटापे के बढ़ते प्रसार से भारत में मनोभ्रंश की घटनाओं में वृद्धि होने की उम्मीद है।
- भारत में डिमेंशिया में 197% की उछाल देखी जा सकती है, जिसमें अल्जाइमर भी शामिल है, 2019 में 3.84 मिलियन मामलों से 2050 तक 11.44 मिलियन मामले हो सकते हैं।



संक्षिप्तसुर्खियां

**एडवांस लाइट
हेलीकाप्टर
(एएलएच) ध्रुव**

सन्दर्भ:

- हाल ही में जम्मू और कश्मीर के किश्तवाड़ में हुई दुर्घटना के बाद भारतीय सेना ने "एहतियाती कार्रवाई" के रूप में एएलएच ध्रुव के अपने बेड़े को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है।

ध्रुव के बारे में:

- यह उच्च स्तर की विश्वसनीयता और उत्तरजीविता के साथ सभी मौसम की स्थितियों में संचालन करने में सक्षम है।

Face to Face Centres





08 मई 2023



- असाधारण उच्च ऊंचाई के प्रदर्शन के लिए जुड़वां शक्ति इंजनों के साथ संचालित।
- रात में उड़ान भरने की क्षमता सहित बेहतर मिशन प्रभावशीलता के लिए ग्लास कॉकपिट और उन्नत एवियोनिक्स से लैस।
- ध्रुव अत्याधुनिक तकनीकों जैसे हिंज लेस इंटरचेंजेबल मेन रोटर ब्लेड्स, बियरिंग लेस टेल रोटर ब्लेड्स, एंटी रेजोनेंस वाइब्रेशन आइसोलेशन सिस्टम और क्रिटिकल सिस्टम्स के लिए बिल्ट इन रिडंडेंसीज से युक्त है।
- ध्रुव समुद्र तल से लेकर हिमालय की उच्च ऊंचाई सहित विभिन्न ऊंचाई पर संचालन के लिए एक आदर्श मंच है और साथ ही अधिक तापमान रेंज पर रेगिस्तान और वायुमंडलीय परिस्थितियों में भी उड़ान भर सकता है।
- इसे हेलमेट पॉइंटिंग सिस्टम (HPS), इलेक्ट्रो ऑप्टिक पॉड और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट से जुड़े सेल्फ-प्रोटेक्शन सिस्टम जैसे मिशन सिस्टम के साथ शामिल किया गया है।

पश्चिमी ट्रैगोपैन



सन्दर्भ:

- कश्मीर हिमालय में बर्डवॉचर्स ने पश्चिमी हिमालय के लिए एक अत्यधिक दुर्लभ पक्षी पश्चिमी ट्रैगोपैन के पहले फोटोग्राफिक साक्ष्य पर कब्जा कर लिया है।

मुख्य विशेषताएं:

- पश्चिमी ट्रैगोपैन (ट्रैगोपैन मेलानोसेफालस) फैसियानिडे परिवार से संबंधित है। पश्चिमी ट्रैगोपैन का वितरण उत्तर-पश्चिमी पाकिस्तान से कश्मीर के माध्यम से हिमाचल प्रदेश और संभवतः उत्तराखंड के पश्चिमी भागों में होता है।
- पश्चिमी ट्रैगोपैन चमकीले पंखों वाला तीतर है और इसकी दुर्लभता और मायावी होने के कारण इसे एक रहस्यमयी पक्षी माना जाता है। पश्चिमी ट्रैगोपैन जमीन के करीब पेड़ों के खोखलों में घोंसला बनाता है और कवर के लिए मोटी झाड़ियों और पर्णसमूह पर निर्भर करता है।
- नर पक्षी बड़े होते हैं, जिनकी लंबाई 65 से 75 सेमी और वजन 1800 से 2200 ग्राम होता है। मादा पक्षियों की लंबाई 60 सेमी और वजन 1200 से 1500 ग्राम होता है। नर पक्षी गहरे रंग के होते हैं और पंख पर कई सफेद धब्बे होते हैं।
- आईयूसीएन स्थिति: 'कमजोर' ('Vulnerable')

यांग्ज़ी जायंट सॉफ्टशेल कछुआ

सन्दर्भ:

- हाल ही में यांग्ज़ी जायंट सॉफ्टशेल कछुआ प्रजाति की अंतिम ज्ञात शेष मादा



08 मई 2023



वियतनाम के हनोई सोंटे जिले में डोंग मो झील के किनारे मृत पाई गई।

मुख्य विशेषताएं:

- यांग्त्ज़ी जायंट सॉफ्टशेल कछुआ (राफेटस स्विहोई) दुनिया का सबसे बड़ा मीठे पानी का कछुआ है जो पृथ्वी पर सबसे लुप्तप्राय प्रजातियों में से एक है।
- यह लंबाई में 1.5 मीटर (5 फीट) तक बढ़ सकता है और इसका वजन 200 पाउंड (90 किलोग्राम) से अधिक हो सकता है।
- इसकी चपटी, मुलायम खोल, लंबी गर्दन और सूअर जैसा मुंह होता है।
- इसकी उपरी परत आमतौर पर जैतून या भूरे रंग की होती है।

अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के लिए बैंक



सन्दर्भ:

- भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स (BIS) ने संयुक्त रूप से G20 TechSprint, एक वैश्विक प्रौद्योगिकी प्रतियोगिता लॉन्च की है।

मुख्य विशेषताएं:

- BIS (जिसका मुख्यालय बेसल स्विट्जरलैंड में है) की स्थापना 1930 में हेग सम्मेलन के दौरान हुई थी।
- स्वामित्व और सदस्यता: BIS का स्वामित्व 63 केंद्रीय बैंकों के पास है, जो दुनिया भर के देशों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये केंद्रीय बैंक बीआईएस के शेयरधारक हैं और इसकी पूंजी में योगदान करते हैं।
- इसका मिशन केंद्रीय बैंकों के लिए एक बैंक के रूप में कार्य करते हुए, अंतरराष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से मौद्रिक और वित्तीय स्थिरता की खोज में केंद्रीय बैंकों का समर्थन करना है।
- बीआईएस का शासन तीन स्तरों पर संचालित होता है: निदेशक मंडल, सदस्य केंद्रीय बैंकों की आम बैठकें, और बीआईएस प्रबंधन, जैसा कि इसके कानूनों में निर्धारित किया गया है।

कार्य:

- यह सूचना के आदान-प्रदान और नीतिगत मामलों पर सहयोग करने के लिए केंद्रीय बैंकों के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है।
- बीआईएस केंद्रीय बैंकों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों को बैंकिंग सेवाएं भी प्रदान करता है, अनुसंधान और विश्लेषण की सुविधा देता है, और वैश्विक वित्तीय मानकों और विनियमों के विकास का समर्थन करता है।

Face to Face Centres



DHYEYA IAS
most trusted since 2003

DAILY **pre** PARE

Current affairs summary for prelims

08 मई 2023

[MCQ](#), [Current Affairs](#), [Daily Pre Pare](#)

Face to Face Centres

DELHI MUKHERJEE NAGAR: 9205274741, 42 | **LAXMI NAGAR :** 9205212500, 9205962002 | **RAJENDRA NAGAR:** 9205274743 | **UTTAR PRADESH PRAYAGRAJ:** 0532-2260189, 8853467068 | **LUCKNOW (ALIGANJ):** 0522-4025825, 9506256789 | **LUCKNOW (GOMTI NAGAR):** 7234000501, 7234000502 | **GREATER NOIDA:** 9205336037, 38 | **KANPUR:** 7887003962, 7897003962 | **GORAKHPUR :** 7080847474, 9161947474 | **ODISHA BHUBANESWAR:** 9818244644/7656949029



dhyeyaias.com